हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग
नियुक्ति–।।

सं0 पर (एपी–बी)ए(1)–1/2013 तारीख शिमला–2, 17 मार्च, 2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सँख्याक 13) की धारा 36 के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं । इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सँख्याक 13) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; और

(ग) "अधिकरण" से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है ।

3. अतिरिक्त न्यायपीठ की उस स्थान जहां पर यह सामान्यता बैठक करेगी से भिन्न स्थान पर बैठक ।	यदि किसी भी समय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितिया विद्यमान हैं जिनमें यह आवश्यक है कि उक्त न्यायपीठ की उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी स्थान पर, जो उस स्थान अथवा स्थानों से भिन्न है जहां पर यह सामान्यता बैठक करती है, बैठकें करना आवश्यक है तो वह निदेश दे सकेगा कि अतिरिक्त न्यायपीठ अपनी बैठक ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर करे ।
4.अध्यक्ष की शक्तियां ।	अध्यक्ष की वही शक्तियां होंगी जो वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009, मूल नियम और अनुपूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्‌टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 की बाबत राज्य सरकार के किसी विभाग को प्रदत्त की गई हैं । अध्यक्ष की, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू अन्य नियमों के अधीन भी शक्तियां होंगी :

परन्तु वित्तीय शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किसी प्रक्रियात्मक या अन्य अनुदेशों के अधीन रहते हुए और कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उन मामलों की बाबत जो अध्यक्ष की सक्षमता में नही हैं, अध्यक्ष द्वारा कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग या किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति से अभिप्राप्त की जाएगी ।

आदेश द्वारा,

पी.मित्रा
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

सं0 पर (एपी–बी)ए(1)–1/2013 तारीख शिमला–2, 17 मार्च, 2015

निम्नलिखित को एक प्रति प्रेषित है :

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. प्रधान निजी सचिव, मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. महापंजीयक, हि0 प्र0 उच्च न्यायालय, शिमला–2 ।
4. अवर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5. नियन्त्रक, वित्त व लेखा, कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला–2
6. विशेष सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
7. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
8. रक्षक नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां–25

(प्रेम सिंह ठाकुर)
उप सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष 0177 – 2624183

(Authoritative English text of this Govt. notification No. Per(AP.B)A(1)-1/2013 dated 17-03-2015 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel
Appointment-II

No.Per(AP.B)A(1)-1/2013 Dated Shimla-2, 17th March,2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 12 read with clause (a) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 2014.
	(2)	They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Definitions		In these rules, unless the context otherwise requires, (a) "Act" means the Administrative Tribunal Act, 1985, (13 of 1985); (b) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal; and (c) "Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal.

3.	Sitting of an additional Bench at place other than the place where it shall ordinarily sit.	If at any time the Chairman is satisfied that circumstances exist which render it necessary to have sittings of the said Bench at any place falling within its territorial jurisdiction, other than the place or places at which it ordinarily sits, he may direct that the Additional Bench shall hold its sitting at any such appropriate place.
4.	Powers of Chairman	The Chairman shall have the same powers as are conferred on a Department of the State Government in respect of the Delegation of Financial Powers, the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009, the Fundamental and Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. The Chairman shall also have the powers under other rules applicable to officers / officials of Himachal Pradesh Administrative Tribunal: Provided that the exercise of the financial powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the State Government and after obtaining the advice of Finance Department through Department of Personnel.

Provided further that in respect of matters not within the competence of the Chairman, concurrence of the Finance Department or any other authority shall be obtained by the Chairman through the Department of Personnel.

By Order

P.Mitra
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

No.Per(AP.B)A(1)-1/2013 Dated Shimla-2, 17th March, 2015
A copy is forwarded to :

1. The Secretary to HE the Governor, H.P. Shimla-2
2. Pr. Private Secretary to Chief Minister, H.P. Shimla-2.
3. The Registrar, Himachal Pradesh Administrative Tribunal, Shimla-2.
4. The Under Secretary, Ministry of Personnel PG & Pension, Dept. of Personnel & Training, Govt. of India, New Delhi.
5. The Controller (F&A), Dept, of Personnel, H.P. Secretariat, Shimla-2.
6. The Spl. Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh, Shimka-2
7. ALR-cum-Under Secretary (law) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2.
8. Guard file / spare copies - 25

(Prem Singh Thakur)
Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone 0177 - 2624183